रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D) 72

RAJ SECRETA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1977/भाद्र 7, 1899

No. 379] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1977/BHADRA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th August 1977

S O. 643(E).—Reference S O 406(E) dated the 21st June 1977 published in Part II Section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary.

For the existing paragraph 3, substitute the following.—

3. No person shall himself or by any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any mild steel tubes made in the nominal bores and outside diametres stipulated in the specified standards which do not bear the 'ISI' Certification Mark Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of mild steel tubes which do not conform to the specified standard but conform to any specifications required by the foreign buyer

4 The residual quantities of sub-standard quality left with manufacturers/traders can be disposed of by cutting pipes and tubes into length not in excess of 1 5 metres before being sold in the market

[No. 7(3)/71-EIM]

HARI BHUSHAN,

Advisor (Teh.) and ex-officio Jt. Secy

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1977

का० आ० 643(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड (2) मे दिनाक 21 जून, 1977 को प्रकाशित का० आ० 406(ङ) के सदर्भ मे।

विद्यमान पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए —

3. कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किन्ही नरम इस्पात के ट्यूबों को, जो विनिर्दिष्ट मानको मे निर्दिष्ट साकेतिक सछिद्र परिमाण (नामिनल बोर) और बाहरी व्यास के है, जिन पर 'आई० एस० आई०' प्रमाणन चिन्ह नही है, न तो विनिर्मित करेगा, न विक्रय के लिए उन्हे भडार मे रखेगा, न ही बेचेगा या वितरित करेगा। परन्तु इस आदेश की कोई भी बात ऐसे नरम इस्पात के ट्यूबो के निर्यात के सबंध मे लागू नही होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नही है किन्तु विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किन्ही विनिर्देशो के अनुरूप है।

4 निर्माताओ/व्यापारियो के पास बेची हुई घटिया किस्म की शेष पाइपो और ट्यूबो का, बाजार मे बेचे जाने से पूर्व उन की लम्बाई मे काटकर, जो 1 5 मीटर से अधिक न हो, निपटान किया जा सकता है।

[सं० 7(3)/71-ई आई एम०]

हरी भूषण,

सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977